संख्या-41/2026/754/2026-001-27-10002(002)/7/2024-10

प्रेषक,

इन्द्रजीत सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10 **लखनऊ : दिनांक- 18 मई, 2026**

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-94 सिंचाई निर्माण कार्य पूंजी लेखा के लेखाशीर्षक 4702 के अन्तर्गत टी0 एण्ड पी0 के मद की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-1012/नलकूप/बजट 2026-27/टी0एण्ड पी0, दिनांक 23.04.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-94 सिंचाई निर्माण कार्य पूंजी लेखा के लेखाशीर्षक 4702 के अन्तर्गत टी0 एण्ड पी0 के मदों में प्राविधानित धनराशि रू0 1750.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में कुल धनराशि रू0 8,75,00,000/- (रूपये आठ करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) को निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार निर्धारित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किए जाने हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-2 के आदेश सं0-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है। उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026-बी/1-812-दस/2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों तथा वित्त विभाग के मितव्ययिता संबंधी व अन्य स्थायी आदेशों, बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) स्वीकृति धनराशि केवल स्वीकृत कार्य पर ही व्यय की जाएगी। अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए समस्त उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग/संबंधित अधिकारियों का होगा।

(3) यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का प्रदर्शन (एलाटमेन्ट) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए। व्यय करने से पूर्व कार्य के विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(4) यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जिन परियोजनाओं की स्वीकृति शासन स्तर से अपेक्षित है, उनकी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु शासन के संबंधित अनुभाग को प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए।

(5) स्वीकृति धनराशि अनुमोदित कार्य पर ही व्यय की जाएगी। कार्य की विशिष्टता, गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी तथा कार्य के फंडिंग की डुप्लीकेसी न हो तथा कार्य समय से पूरा हो, यह विभागाध्यक्ष सुनिश्चित करेंगे।

(6) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर अनुमोदित कार्य पर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनरशि बैंक/डाकघर/ पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 4702008000301 (नवीन सम्पूर्ति)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	094	4702008000301 नवीन सम्पूर्ति	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,10,00,000 (रुपये एक करोड़ दस लाख मात्र)
2	094	4702008000301 नवीन सम्पूर्ति	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	3,05,00,000 (रुपये तीन करोड़ पाँच लाख मात्र)
	कुल			**4,15,00,000** **(रुपये चार करोड़ पन्द्रह लाख मात्र)**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

लेखाशीर्ष: 4702008000302 (मरम्मत)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	094	4702008000302 मरम्मत	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,43,00,000 (रुपये एक करोड़ तैंतालीस लाख मात्र)
2	094	4702008000302 मरम्मत	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	3,05,00,000 (रुपये तीन करोड़ पाँच लाख मात्र)
	कुल			**4,48,00,000 (रुपये चार करोड़ अड़तालीस लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4702008000303 (गाड़ी भाड़ा)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	094	4702008000303 गाड़ी भाड़ा	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5,50,000 (रुपये पाँच लाख पचास हजार मात्र)
2	094	4702008000303 गाड़ी भाड़ा	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	6,50,000 (रुपये छह लाख पचास हजार मात्र)
	कुल			**12,00,000 (रुपये बारह लाख मात्र)**

महायोग	**8,75,00,000 (रुपये आठ करोड़ पचहत्तर लाख मात्र)**

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव

संख्या-41/2026/754(1)/2026-001-27-10002(002)/7/2024-10, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) प्रमुख अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(4) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(6) संबंधित मुख्य अभियन्तागण (नलकूप), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, द्वारा- प्रमुख अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(7) मुख्य अभियन्ता (सूचना प्रणाली संगठन)/नोडल अधिकारी, सी0एम0 आई0एस0 पोर्टल।
(8) वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(9) नोडल अधिकारी/अनु सचिव, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 शासन।
(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/ सिंचाई एवं जल संसाधन अनु0-9/नियोजन अनु0-3
(11) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(12) गार्ड बुक (बजट)।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।